तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इशारे
25/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान हाजिर। पीठासीन अधिकारी कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते बहस अंतिम .... दिनांक 16/2/26 को पेश हो।
16/2/26	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप. वकील वादी की मूल वाद पर बहस सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से टंकित कर पत्रावली में शा. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (अजमेर)

राजस्व वाद पत्र संख्या 244/2012

11. मंदिर श्री शनिश्चरजी महाराज स्थान किशनगढ़ जरिये पुजारी जगदीशप्रसाद दत्तक पुत्र नाथूलाल आयु 75 वर्ष, जाति डाकोत, निवासी शनि मंदिर, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान(मृतक)

1/1 हेमचन्द पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद, आयु निवासी शनि मन्दिर के पास, पुराना शहर, जिला अजमेर राजस्थान 58 वर्ष, जाति डाकोत, सरवाडी गेट किशनगढ,

1/2 गणेशीलाल पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद, आयु 46 वर्ष, जाति डाकोत, निवासी– शनि मन्दिर के पास, पुराना शहर, 1/2 जिला अजमेर राजस्थान सरवाडी गेट किशनगढ,

1/3 मुन्शीलाल पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद, आयु निवासी शनि मन्दिर के पास, पुराना शहर, जिला अजमेर राजस्थान 44 वर्ष, जाति डाकोत, सरवाडी गेट किशनगढ,

1/4 सत्यनारायण पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद, आयु 40 वर्ष, जाति डाकोत, निवासी– शनि मन्दिर के पास, पुराना शहर, सरवाडी गेट किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान

2. मंदिर श्री शनिश्चरजी महाराज स्थान किशनगढ़ जरिये पुजारी लूणचन्द पुत्र डालचन्द आयु 77 वर्ष, जाति डाकोत, निवासी शनि मंदिर, सरवाड़ी गेट, पुराना शहर, किशनगढ़, जिला अजमेर (मृतक)

2/1 रमेश चन्द पुत्र श्री लूणचन्द, आयु 43 वर्ष, जाति डाकोत, निवासी सरवाडी गेट, पिनारी चौक किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान

2/2 नन्दकिशोर पुत्र श्री लूणचन्द, आयु 43 वर्ष, जाति डाकोत, निवासी सरवाडी गेट, पिनारी चौक किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान

2/3 सत्यप्रकाश पुत्र श्री लूणचन्द, आयु 38 वर्ष, जाति डाकोत, निवासी–सरवाडी गेट, पिनारी चौक किशनगढ, जिला अजमेर राजस्थान

बनाम

1. रामलाल पुत्र बागा जाति गुर्जर निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
2. भंवरलाल पुत्र बागा जाति गुर्जर निवासी मण्डावरिया, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील वादी श्री इन्द्रेश कुमार व भवानी सिंह राठोड दिनांक :– 16/2/2016

वादीगण के वाद का संक्षिप्त में सार इस प्रकार से है कि वादी सं0 1 व 2 शनिश्चरजी महाराज के पुजारी है। उक्त मंदिर के पूर्व में पुजारी प्रार्थीगण के भाई श्योबक्श पुत्र लालचन्द जी थे। उक्त श्योबक्श पुत्र लालचन्द वर्तमान में जयपुर में अधिवास कर रहे है। मंदिर की सेवा पूजा अर्चना प्रार्थीगण ही दूसरे वार करते है। वादी मंदिर सरवाडी गेट पुराना शहर, किशनगढ़ में स्थित है मंदिर मूर्ति शाश्वत, नाबालिग है। मंदिर की नित्यप्रति सेवा, पूजा अर्चना वादीगण करते हैं तथा मंदिर की सेवा पूजा अर्चना तेल, धूप, प्रसाद एवं अन्य उत्सव वादीगण चढ़ावे एवं मंदिर की भूमि से उपजे से करना पड़ता है। वादी मंदिर के अधिकार, खातेदारी, मिलकीयत की कृषि भूमि खसरा संख्या 117 रकबा 06 बिस्वा गैर मुमकिन चाह एवं खसरा संख्या 118 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

न मण्डावरिया, पटवार क्षेत्र सांवतसर, तहसील किशनगढ़ में स्थित है। वादी मंदिर मूर्ति शाश्वत, नाबालिग है तथा नाबालिग की सम्पत्ति पर किसी के द्वारा भी अतिचार, अतिक्रमण, आधिपत्य विधि अनुसार अनुज्ञात नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पूर्वाधिकारी वादी मंदिर मूर्ति के काश्तकार थे तथा प्रतिवादीगण के पूर्वाधिकारी वादी मंदिर को पहले फसल में बांटा सांटा देते थे। वादी मंदिर मूर्ति नाबालिग होने से वादी मूर्ति की उपरोक्त भूमि खुदकाश्त ही है। प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने वादी की भूमि पर अवैध, अनाधिकृत रूप से अतिचार कर रखा है तथा उससे प्राप्त उपज लाभ स्वयं ही एकाकी रूप से प्राप्त कर लेते हैं। प्रतिवादी संख्या 1, 2 आपराधिक प्रकृति के हैं। वादी द्वारा उपज लाभ की मांग करने पर वह वादीगण से आमादा फसाद होते हैं। प्रतिवादीगण के उपरोक्त आचरण, कारण से मंदिर मूर्ति को प्राप्त होने वाली आय जिससे मंदिर मूर्ति खर्चा, उत्सव आयोजित होते हैं से वंचित होना पड़ रहा है। प्रतिवादीगण का उपरोक्त कृत्य विधि अनुसार अनुज्ञात नहीं है। वादी के परिजन ने दिनांक 10.10.2012 को प्रतिवादी संख्या 1, 2 से सम्पर्क कर उपरोक्त भूमि से प्राप्त उपज लाभ में बांटा हिस्सा देने बाबत् आग्रह किया तो प्रतिवादीगण आमादा फसाद हुए जिससे यह वाद माननीय न्यायालय में संस्थित करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादी संख्या 1, 2 से ग्राम मण्डावरिया स्थित वाद अधीन भूमि खसरा संख्या 117 व 118 का कब्जा तुड़वाकर प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को खाली कब्जा दिलवाया जावे तथा प्रतिवादीगण पर लगान से 50 गुणा शास्ति के रूप में प्रतिवर्ष दिलवाया जावे। उपरोक्त (क) में वर्णित अनुतोष प्रदत्त करने के पश्चात् प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि उपरोक्त भूमि पर वादीगण के कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा अन्य अनुतोष जो श्रीमान मुफीद समझे फरमाने की कृपा करें।

वादी का वाद दिनांक 02.11.2012 को दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 06.05.2013 तक भी बावजूद तामिली के अनुपस्थित रहने से दिनांक 06.05.2013 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। दिनांक 06.02.2017 को वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे स्वीकार किया गया। दिनांक 10.02.2025 को वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 14 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे स्वीकार किया गया। वादी की साक्ष्य ली गई तथा प्रस्तुत दस्तावेजात पर प्रदर्श का अंकन करवाया गया जो इस प्रकार है:— प्रदर्श 01 ग्राम मण्डावरिया जमाबन्दी सम्वत 2066—69 खसरा संख्या 117, 118, प्रदर्श 02 जमाबन्दी खसरा संख्या 21, 119, 121, प्रदर्श 03 ग्राम मण्डावरिया की सम्वत 2066—69 की जमाबन्दी। प्रदर्श 04 दिनांक 23.06.2014 के निर्णय की नकल, प्रदर्श 05— राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश दिनांक 07.03.2019 की प्रमाणित नकल, प्रदर्श 06—रिसीवरी आदेश , प्रदर्श 07— मौका कब्जा रिपोर्ट, प्रदर्श 08 नीलामी इश्तेहार, प्रदर्श 09— तहरीर, प्रदर्श 10— तहसीलदार किशनगढ द्वारा की गई नीलामी की राशि का पत्र, प्रदर्श 11— फर्द नीलामी, प्रदर्श 12— सेटलमेन्ट जमाबन्दी, प्रदर्श 13— दिनांक 07.10.1999 का अनुमति पत्र, प्रदर्श 14 उपखण्ड अधिकारी का पत्र, प्रदर्श 15:— मन्दिर भूमि से अतिक्रमण हटवाने का पत्र दिनांक 13.08.2016।

वकील वादी की वाद पत्र पर बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी ने निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 2 से ग्राम मण्डावरिया स्थित वाद अधीन भूमि खसरा संख्या 117 व 118 का कब्जा तुड़वाकर प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादी को खाली कब्जा दिलवाया जावे तथा प्रतिवादीगण पर लगान से 50 गुणा शास्ति के रूप में प्रतिवर्ष दिलवाया जावे। उपरोक्त (क) में वर्णित अनुतोष प्रदत्त करने के पश्चात् प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि उपरोक्त भूमि पर वादीगण के कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें तथा अन्य अनुतोष जो श्रीमान मुफीद समझे फरमाने की कृपा करें।

हमारे द्वारा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया , पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्ष्य एवं प्रदर्श का अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद, वादी द्वारा ग्राम मण्डावरिया स्थित भूमि खसरा संख्या 117, 118 पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध भौतिक कब्जा दिलवाने बाबत एवं उपज का हिस्सा दिलवाने बाबत पेश किया गया है, जबकि प्रदर्श 02 ग्राम मण्डावरिया के खसरा संख्या 117, 188 कुल किता 02 कुल रकबा 12 बीघा 08 बीस्वा माफी मन्दिर श्री शनिशचरजी महाराज स्थान किशनगढ के नाम दर्ज है अर्थात वादग्रस्त भूमि वर्तमान में मंदिर भूमि है। उक्त भूमि पर पर वादी वर्तमान में खातेदार नहीं है, किन्तु उक्त भूमि वर्तमान में मन्दिर के नाम दर्ज है अर्थात वादग्रस्त भूमि वर्तमान में मन्दिर भूमि है जिसमें न्यायालय हाजा से दिनांक 23.06.2014 को तहसीलदार किशनगढ को रिसीवरी आदेश जारी किये जा चुकें है, राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक क्रमांक:/प02(4)/राज./4/90/37 दिनांक 13.12.1991, परिपत्र क्रमांक 03(2) राज. 6/2007/पार्ट05 दिनांक 12.09.2018 के अनुसार मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिकमी के विरूद्ध करते है तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

ायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्तिमंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक / नारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तद्नुसार प्रभावी निस्तारण करेगें। हमारे द्वारा उक्त परिपत्रों का अध्ययन किया गया एवं मनन किया गया। उक्त परिपत्रों के अध्ययन एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा एवं अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा मन्दिर भूमि के संबंध में पारित आदेशों के मनन के उपरान्त न्यायालय हाजा वादी के वाद को आशिंक स्वीकार किया जाना उचित समझती है। अतः वादी का वाद मन्दिर भूमि के हितों के दृष्टिगत रखते हुये आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार किशनगढ को आदेशित किया जाता है कि पूर्व में जारी रिसीवरी आदेश दिनांक 23.06.2014 की पालना करते हुये वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 117, 118 कुल किता 02 कुल रकबा 12 बीघा 08 बीस्वा में मंदिर भूमि के संरक्षक के तौर पर रहेंगें तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक क्रमांक/प02(4)/राज./4/90/37 दिनांक 13.12.1991, परिपत्र क्रमांक 03(2) राज. 6/2007/पार्ट05 दिनांक 12.09.2018 की अनुसरण में निर्धारित प्रारूप में पंजिका तहसील स्तर पर संधारित्र करेगें तथा उक्त पंजिका में पुजारी का नाम अंकन कर पंजिका का संधारण व संचालन करेगें। तारा बनाम सरकार (15.07.2015 राज.उच्च न्यायालय जोधपुर) तथा राजस्थान सरकार के द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के अनुसार वादग्रस्त भूमि का संरक्षण राजकीय भूमि की भांति किया जावे। वादग्रस्त भूमि पर पुजारी का स्वामित्व नहीं होगा, परिपत्र दिनांक 12.09.2018 के अनुसार पुजारी वादग्रस्त भूमि के कृषि कार्य हेतु विकास के कार्य तहसीलदार के पर्यवेक्षण में कर सकेंगें जिसका इन्द्राज पूर्व निर्धारित पंजिका में किया जायेगा।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16/2/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़(अजमेर)